(घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (नेशनल ओवरसीज स्कीम) के अन्तर्गत किया गया औसत व्यय, विदेश में अध्ययनों के लिये प्रति वर्ष प्रायोजित 30 छात्रों के लिये प्रति छात्र प्रति वर्ष 7,06,530/- रु० (लगभग) है। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विदेश में अध्ययनों के लिए अधिकांश छात्रवृत्ति योजनाएं, दाता देशों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हैं। कुछ मामलों में, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत, सरकार किफायती श्रेणी द्वारा वायु यात्रा किराया/पूरक अनुदान पर व्यय वहन करती है, जो प्रत्येक देश के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है।

(ङ) विदेश से अपना अध्ययन पूरा करके वापस आये 85 छात्रों में से 50 छात्र पहले से ही अपने जाने से पूर्व सेवारत हो गये थे और वापसी आने पर रोजगार में लगा लिये गये। छात्रवृत्ति योजना में उच्च अध्ययन/अनुसंधान को सुगम बनाने पर बल दिया गया है।

Irregularities by National Open School

1784. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the grave financial irregularities being committed by NOS (National Open School) Officials;

(b) if so, the details thterof;

(c) whether the CBI has also seized the records of the NOS and found illegal deals in supply of substandard paper etc., and

(d) if so, what immediate action Government propose to take in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE (KM. SELJA): (a) to (d) It has come to the notice of the Government that CBI has collected some files pertaining to the purchase of the paper from National Open School (NOS), an atonomous organisation under the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), in connection with a preliminary enquiry. Further action against the delinquent official(s) of NOS, if so found after completion of CBI's enquiry|investigation, will be taken by the Disciplinary Authority under the extent Rules and Bye-laws.

महिलाओं पर अत्याचारों संबंधी समाचार

1785. **श्री दिग्विजय सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय महिला आयोग पर्याप्त अधिकारों के अभाव में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) क्या सरकार आयोग के समुचित कार्यकरण और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु आयोग के अधिकारों में बढ़ोतरी करना चाहती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और दिनांक 6 और 7 जनवरी, 1995 के "दैनिक जागरण" में "महिला अत्याचार पर सार्वजनिक सुनवाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990, के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई जिसमें महिलाओं के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों से संबंधित सभी मामलों की छान-बीन